RCMS 2012/030044

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 33 / 2012 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

नरेश चन्द्र पुत्र कन्हैया लाल जाति विजयवर्गीय निवासी हाल मुकाम छावनी कोटा ,

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द सिंह (राजकीय अभिभाषक) ,
2. श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल (अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने बाबत

निर्णय दिनांक : 17.01.2020

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी नरेश चन्द्र पुत्र कन्हैया लाल को ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित आराजी ख0 नं0 925 रकबा 15 बीघा जिसके हाल ख0 नं0 मिन 32 रकबा 2.40 हैक्टर भूमि दिनांक 26.11.74 को हुई थी । न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 23.12.2002 से वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 26.11.74 निरस्त किया गया । जिससे अप्रसन्न होकर आवंटी द्वारा मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील प्रस्तुत की गई । मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 08.08.2005 से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 23.12.2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर कोटा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया है कि पक्षकारान को उचित सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे । न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा आवंटी का साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिये जाने के पश्चात भी प्रस्तुत नही किये जाने पर न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 30.08.2010 से वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 26.11.74 निरस्त किया गया । न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 30.08.2010 से अप्रसन्न होकर आवंटी द्वारा मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील प्रस्तुत की गई । मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 11.02.2011 से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 30.08.2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

2. माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 11.02.2011 से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर कोटा में प्राप्त हुई । न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के आदेश दिनांक 05.03.2012 से इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए । वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विशेष आपत्तियों मे तथ्य अंकित किये कि ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा की खसरा नं0 20 रकबा 15 बीघा भूमि दिनांक 26.11.74 को आवंटित कर कब्जा दिया था सेटलमेन्ट के पश्चात उक्त भूमि का नया नम्बर मिन 32 रकबा 2.40 हैक्टर कायम किया गया है जिस पर अप्रार्थी काबिज होकर काश्त

करता चला आ रहा है । वादग्रस्त भूमि पूर्ण रूप से असिंचित भूमि होने से केवल वर्षा के पानी से ही खेती होती है और जिस वर्ष बरसात नही होती है मजबूरन जमीन पडत रह जाती है । गत कई वर्षो से वर्षा काफी कम होने के कारण खरी फसल सूख गई जबकि अप्रार्थी निरन्तर उक्त भूमि पर काश्त कर रहा है एवं आवंटन की प्रत्येक शर्तो की पूर्ण पालना कर रहा है । अतः प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

3.. राजकीय अभिभाषक व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई । राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवटी द्वारा भूमि आवटन एवं कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त प्रथम वर्ष 50 % एव द्वितीय वर्ष मे शेष 50 % भूमि पर कब्जा काश्त निर्बाध रूप से सम्पूर्ण रूप काश्त करनी चाहिये थी । परन्तु आवटी द्वारा आवटित भूमि पर कब्जा काश्त नही की एवं सम्वत् 2046–2053 मे भूमि पडत रही है । अत अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत कृषि भूमि आवटन सबधित निर्धारित शर्तो का उल्लघंन किये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष मे किया गया आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि आवंटी द्वारा आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लघंन नही किया है । वादग्रस्त भूमि पूर्ण रूप से असिंचित भूमि होने से केवल वर्षा के पानी से ही खेती होती है और जिस वर्ष बरसात नही होती है मजबूरन जमीन पडत रह जाती है । जबकि अप्रार्थी निरन्तर उक्त भूमि पर काश्त कर रहा है एवं आवंटन की प्रत्येक शर्तो की पूर्ण पालना कर रहा है । अतः प्रार्थना पत्र बाबत आवंटन निरस्तीकरण खारिज किया जावे । अपने कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2016 (340) 2015 आरआरटी (200) प्रस्तुत की गई ।

5. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया । माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनाक 11.02.2011 की पालना मे अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया । परन्तु अप्रार्थी द्वारा गत 3 वर्षो मे भी भूमि पर कब्जा काश्त होने के संबंध मे सबूत प्रस्तुत नही किये है । पत्रावली मे संलग्न खसरा गिरदावरी सम्वत् 2046–2053 मे भूमि पडत रही है । विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण मे चस्पा नही होते है ।अतः राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नरेश चन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति विजयवर्गीय हाल मुकाम छावनी कोटा को वाके ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नं0 32 मिन रकबा 2.40 हैक्टर का किया गया आवंटन आदेश दिनांक 26.11.74 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार लाडपुरा उक्त भूमि पुनः राजकीय सिवाय चक खाता सरकार दर्ज कर अनाधिकृत कब्जे को हटाने हेतु कार्यवाही करें तथा भूमि कब्जा राज ली जावे ।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 17.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा जिला कोटा